

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB PANCHKULA Year (वर्ष): 2017
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 03/10/2017 17:20 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 01/01/2011 Date To (दिनांक तक): 31/12/2011
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/10/2017 Time (समय): 17:20 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 005 Date and Time (दिनांक और समय): 03/10/2017 18:28 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, 110 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): Yamuna Nagar, Yamuna Nagar,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): YAMUNA NAGAR CITY
District (State) (जिला (राज्य)): YAMUNA NAGAR (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): Inspector Rajesh Kumar
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 10/05/1979 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Panchkula, PS SVB Panchkula, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Panchkula, PS SVB Panchkula, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	Ranvir Registration officer Dy. Director Archeology Dept.		Father's Name: Sh. Preet Singh	1. Panchkula,D-6/7GF DLF Distt Panchkula,PINJORE,PANCHKULA,HARYA NA,INDIA
2	Jai Parkash Owner J.P Industry		Father's Name: Sh. Shanti Parkash	1. 2233,Sector-15.Panchkula,SECTOR- 14,PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	11,78,499 Rupess	11,78,499.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 11,78,499.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला, श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 6 दिनांक 19-10-2015 यमुनानगर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 63/105/151-VII, चण्डीगढ दिनांक 16-1-2015 के अनुसार व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृ0 क्रमांक 15266/आई-2, रा0चौ0ब्यूरो, हरियाणा, दिनांक 20-10-2015 अनुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर पड़ताल हेतु निरीक्षक प्रेम चन्द को प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप था कि गुरु गोबिन्द सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालाय, कपाल मोचन (यमुनानगर) व बडखालसा मैमोरियल, राई (सोनीपत) में खरीद किये गये शोकेस एवं पैडस्टल आदि का निर्माण ड्राईंग एवं डिजाईन अनुसार न होना व विभाग में सामान की मात्रा व सही मानक अनुसार प्राप्त न होने पर भी पुरातत्व विभाग हरियाणा द्वारा फोरेस्ट डेवैल्पमेंट कार्पोरेशन लि0 हरियाणा को अत्यधिक राशि का भुगतान करना। जिसकी पड़ताल निरीक्षक प्रेम चन्द द्वारा की गई, जो पड़ताल से पाया गया कि वेदपाल वास्तुकला सहायक द्वारा दिनांक 16-03-2011 को राई संग्रहालय, सोनीपत में संग्रहालय में मूर्तियां व सामान प्रदर्शित करने के लिए पैडस्टल की आवश्यकता बारे दरखास्त निदेशक पुरातत्व संग्रहालय विभाग, हरियाणा, पंचकूला को लिखी जिसके साथ बनाये जाने वाले पैडस्टलों का प्रारूप/ड्राईंग भी लगाई गई थी, जो इस ड्राईंग मे टीक की लकड़ी का फ्रेम कवर, बाई टीक प्लाई, वैल पॉलिश ट्यूबलाईट सरफेस कवर, बाय क्लॉथ कवर, बाँय ग्लास लगाने की रिक्वायरमेंट दी हुई थी, जिस पर श्री रणवीर सिंह, उप निदेशक पुरातत्व के पास डी.डी.ओ. पावर होने पर दिनांक 17-03-2011 को अपनी कलमी खुद नोटिंग मे पैडस्टलों पर 15 लाख रुपये खर्च होना दर्शाया गया और यह नोटिंग महानिदेशक श्री फतेह सिंह डागर के सम्मुख पेख की, जिन्होंने इस नोटिंग में लिखा कि उपरोक्त सामान की आवश्यकता है, जो भी बजट प्रावधान की अनुमति ली जानी उचित होगी और यह नोटिंग फाईल वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव पुरातत्व विभाग हरियाणा सरकार श्री विजय वर्धन, आई.ए.एस. के पास भेज दी, जिन्होंने दिनांक 21-03-2011 को इस नोटिंग मे दिये गये प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया और श्री रणवीर सिंह द्वारा दिनांक 21-03-2011 को इस नोटिंग की अनुपालना मे पत्र लिखने बारे लिख दिया। दिनांक 22-03-2011 को श्रीमति कमलेश रानी, सहायक द्वारा प्रबंध निदेशक, हरियाणा वन विकास निगम लि0, बेज नं. 2728, सैक्टर-4, पंचकूला को पत्र क्रमांक 16/86-2011-पुरा0/1040/ दिनांक 22-03-2011 अनुसार संग्रहालय बडखालसा, राई, सोनीपत तथा युद्ध कला संग्रहालय, कपालमोचन यमुनानगर मे संलग्न ड्राईंग/डिजाईन अनुसार 15/15 शोकेस पैडस्टल बनवाने पर आने वाले व्यय का अनुमान भेजने बारे पत्र लिखा। इस पत्र की एवज़ में फोरेस्ट डेवैल्पमेंट कार्पोरेशन लि0, कुरूक्षेत्र द्वारा एक इन्वायस नं. 401 दिनांक 29-03-2011 को इन पैडस्टलों का 1620/- रुपये प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से 14,41,800/- रुपये 57,462/-रुपये 4 प्रतिशत के हिसाब से वैट सहित रुपये 14,99,472/- रुपये का अनुमान भेजा। कुटेशन

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

जिसमें 14,06,160/- रुपये हैं और बाद में कटिंग करके 14,62,406/- रुपये बनाई गई, परन्तु रणवीर सिंह, उपनिदेशक द्वारा दिनांक 30-03-2011 को पत्र क्रमांक 16/86-2010पुरा0/1254-1258 दिनांक 30-03-2011 के अनुसार 14,62,406/- रुपये करके दिनांक 31-03-2011 को बिल नं0 794 मुबलिंग 14,62,406/- रुपये टैरजरी से मन्जूर करवा लिये गये, जो कुटेशन को ही बिल का आधार बना कर राशी मन्जूर कर ली जानी पाई गई है और दिनांक 04-07-2011 को हरियाणा फोरेस्ट डवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन लि0 को 14,62,406/- रुपये का डी0डी0 दे दिया गया, जबकि जांच पर यह पाया गया है कि यह उपरोक्त पैडस्टल/शोकेस हरियाणा फोरेस्ट डवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन लि0 पंचकूला द्वारा खुद न बना कर जे.पी. इण्डस्ट्री, गांव गोरखनाथ शाहपुर रोड मढावाला तहसील कालका, जिला पंचकूला से बनवाये जाने पाये गये हैं। पडताल पर यह भी पाया गया है कि महाप्रबंधक, हरियाणा वन विकास निगम, कुरूक्षेत्र के पत्र क्रमांक एच.एफ.डी.सी./2016/1721 दिनांक 21-07-2017 अनुसार उनके कार्यालय द्वारा पुरातत्व विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ को कोई इन्वायस जारी नहीं की गई। यह इन्वायस निगम के मुख्यालय द्वारा ही दी गई है। इसकी राशी भी मुख्यालय में प्राप्त हुई है, जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं प्रबंध निदेशक, हरियाणा वन विकास लि0 पंचकूला के पत्र क्रमांक 1783 दिनांक 09-08-2016 अनुसार कि निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा द्वारा इस कार्यालय से कोई कुटेशन प्राप्त नहीं की गई। यह कुटेशन महाप्रबंधक हरियाणा वन विकास निगम कुरूक्षेत्र कार्यालय द्वारा प्राप्त की गई है, जिस पर सोहन लाल सेणी डी.एफ.ओ. प्रॉटेक्शन कुरूक्षेत्र के कथन अनुसार कुटेशन पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। यह इन्वायस वह ही लेकर मुख्यालय गया था, क्योंकि श्री छोट्टराम जोतरिवाल भा.व.से. प्रबंध निदेशक हरियाणा वन विकास पंचकूला ने उससे इन्वायस की पूरी बुक फोन करके मंगवाई थी और वह पूरी बुक अपने पास रख ली थीं। कार्यालय रिजनाल मैनेजर HDFC कुरूक्षेत्र के कथन अनुसार इन्वायस नं. 404 दिनांक 29-03-11 पर उसके वा अन्य कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और जे.पी. इण्डस्ट्रीज के मालिक श्री जय प्रकाश मिश्रा द्वारा दिनांक 25-08-2011 को 8 शोकेस बनाकर बढखालसा संग्रहालय राई, सोनीपत व दिनांक 25-08-2011 को 5 शोकेस गुरु गोबिन्द सिंह संग्रहालय कपालमोचन यमुनानगर भेज दिये गये, जबकि यह 15/15 कुल 30 शोकेस बनाए जाने थे। केवल 13 शोकेस प्राप्त होने उपरान्त भी श्री रणबीर सिंह, पंजीकरण अधिकारी/डी.डी.ओ. पुरातत्व विभाग सैक्टर-10, चण्डीगढ़ द्वारा राई व कपालमोचन में शोकेस/पैडस्टल प्राप्त होने का प्रमाण पत्र खुद अपने हस्ताक्षर करके दिये और मैनेजर हरियाणा फोरेस्ट डवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन कुरूक्षेत्र को भी दिनांक 20-09-2011 को शोकेस व पैडस्टल प्राप्त होने बारे पत्र लिख कर और पत्र पर अपने ही हस्ताक्षर करके पत्र भेज दिये हैं और अन्य 14 फर्नीचरों के अलावा 868 स्क्वायर फुट पैडस्टल स्टेण्ड डिस्पले टिक वुड मैलामाईन पॉलिश हार्डवेयर, ग्लास एस पर डिजाईन कम्पलीट इन ऑल रिस्पैक्ट प्राप्त होने की जनरल मैनेजर हरियाणा फोरेस्ट डवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन कुरूक्षेत्र को रसीद भी दे दी, जबकि वेद पाल वास्तुकला सहायक द्वारा 8 शोकेस प्राप्त करने बारे स्टॉक रजिस्टर में लिखा हुआ, जिसको श्री रणवीर सिंह डी.डी.ओ. द्वारा सीन भी किया हुआ है। दोनो बिन्टीयाँ जिनमें 5 व 8 शोकेस भेजने बारे लिखा हुआ है, खुद सीन किया हुआ है। श्री रणवीर सिंह डी.डी.ओ. द्वारा इतने कम शोकेस प्राप्त होने बारे न ही तो अपने विभाग को और न ही वन विभाग निगम को कोई मौखिक या कोई लिखित कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि श्री रणवीर सिंह डी.डी.ओ. को पैडस्टल/शोकेस कम होने बारे पूर्ण जानकारी थी। जब श्री अशोक खेमका आई.ए.एस. की बतौर महानिदेशक पुरातत्व विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ में नियुक्ति हुई तो उनको पता लगने पर इसकी जांच वन विभाग के अधिकारियों से करवाई गई, जो वन विभाग द्वारा दौरान जांच इन पैडस्टल/शोकेसों में लगी लकड़ी का निरीक्षण काष्ठ शरीर शाखा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से करवाया गया तो यह लकड़ी टिक की न होकर देवदार की पाई गई, जिसके आधार पर वन विभाग द्वारा गठित कमेटी अनुसार कपालमोचन एवं राई के वुडन पैडस्टल में लगे मैटिरियल की मपाई की गई। जिस पर पैडस्टल में लगी सामग्री की कीमत कमेटी द्वारा 21,839/- रुपये प्रति पैडस्टल 13 वूडन पैडस्टल की कीमत कुल रुपये 2,83,907/- रुपये बनती है। जबकि 14,62,406/- रुपये का भूगतान किया गया, जो कि 11,78,499/- रुपये का पुरातत्व विभाग द्वारा अधिक भुगतान के सम्बन्ध में बिल कुटेशनों, चैंक, सभी लेनदेन श्री रणबीर सिंह पंजीकरण अधिकारी हाल सेवानिवृत्त ने अपने ही स्तर पर हस्ताक्षरों से करना पाया गया है तथा दिनांक 29-03-2011 को बिल नं. 404 की चढ़ाई गई नोटिंग में कटिंग करके व वन विभाग को पूर्ण रूप से पैडस्टल प्राप्त न होने उपरान्त भी प्रमाण पत्र व फर्नीचर व पैडस्टल प्राप्त होने बारे अपने हस्ताक्षर करके वन विभाग पंचकूला व कुरूक्षेत्र को अवगत करवाया गया और इनवायस नं. 404 दिनांक 29-03-2011 वन विभाग पंचकूला और वन विभाग कुरूक्षेत्र द्वारा यह इनवायस बिल जारी न करना ब्यान हुआ है। जो इस प्रकार श्री रणवीर सिंह तत्कालीन पंजीकृत अधिकारी व उपनिदेशक पुरातत्व विभाग द्वारा पैडस्टल व शोकेस का झूठा रिकार्ड तैयार करके व श्री जय प्रकाश फर्म मालिक जे.पी. इण्डस्ट्रीज द्वारा पैडस्टलों/शोकेस में टिक की लकड़ी की जगह देवदार की लकड़ी इस्तेमाल करके और आपसी मिलीभगत करके सरकार को 11,78,499/- रुपये की वित्तीय हानी पहुंचा कर जुर्म जेर धारा 409, 420, 468, 471, 120बी0, 13(1) PC Act, 1988 का पाया जाने पर अन्तिम रिपोर्ट में रणवीर तत्कालीन पंजीकरण अधिकारी, उपनिदेशक पुरातत्व विभाग व जय प्रकाश मालिक जे.पी. इण्डस्ट्रीज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किये जाने के सुझाव सहित महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी, जांच रिपोर्ट का परिक्षण करने उपरान्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र 63/105 दिनांक 11-09-2017 अनुसार रणबीर सिंह तत्कालीन पंजीकरण अधिकारी व उपनिदेशक पुरातत्व विभाग व जय प्रकाश मालिक जे.पी. इण्डस्ट्रीज के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। लिहाजा तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा अरसाल थाना है। स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला की सेवा में भिजावाई जावे और बाद कायमी मुकदमा अफसरान बाला से आगामी तफतीश के आदेश प्राप्त करने उपरान्त मिशल मुकदमा मय रिकार्ड सहित सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जावे और तफतीश के दौरान यदि अन्य किसी कर्मचारी/अधिकारी की मिली-भगत पाई जावे, तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जाये। Sd. राजेश कुमार A/11 निरीक्षक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो] पंचकूला 03.10.2017 समय 5.20 P.M अज थाना :- उपरोक्त लेख पर अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट बदस्त स्पेशल मैसेन्जर HC सीता राम न0 1045/अम्बाला के इलाका मैजिस्ट्रेट साहब, यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में तथा असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस बराये करवाने नियुक्त अनुसंधान अधिकारी उप महानिरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला मण्डल पंचकूला की सेवा में भिजावाई जा रही है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): rajesh kumar Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): a11 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Suresh Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): hps

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1957				Is Proxitted: Yes
2	Male	25/10/1965				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)